# FORM NO. III
# फर्द अहकाम
(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु) मुकाम

गुरदेव बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र / दावा नं. 157/20 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही विवरण | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म |
|---|---|---|
| 11/8/20 | आज यह दावा अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act. व 136 L.R. Act. का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु Regd. समन तलबाना पेश करे। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 15.9.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरु) | |
| 15/9/20 | वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 24.11.20 को पेश हो | |
| 24/11/20 | वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुनः लिखा जावे। मिसल वास्ते जाँच रिपोर्ट दिनांक 14.12.2020 को पेश हो। | |
| 14/12/20 | वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब मुख्यालय से बाहर हैं। मिसल दिनांक 4-1-21 का पेश हो। | |
| 4/1/21 | वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है बाद इन्तजार मिसल दिनांक 19.2.21 को पेश हो। | |
| 19/2/21 | वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही विवरण |
| --- | --- |
| | 88 R.T. Act. व 136 L.R. Act. के तहत इस आशय का पेश किया है कि विवादित कृषि भूमि ख०न० 485 तादादी 3.44 है० ख०न० 500 तादादी 3.08 है० ख०न० 505 तादादी 3.39 है० ख०न० 541 तादादी 0.54 है० ख०न० 542 तादादी 2.17 है० कुल तादादी 12.62 हैक्टर रोही ग्राम ताम्बाखेड़ी तहसील सिधमुख जिला चूरू में वादी का अशुद्ध नाम गुरदीप दर्ज है तथा वादी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज में शुद्ध नाम गुरदेव है। अतः जमाबन्दी में नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जावे। वाद से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार से मंगाई गई। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि है तथा अनुतोष धारा 136 L.R. Act. की श्रेणी में आता है। अतः वाद को धारा 136 L.R. Act. के तहत पाया जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थनापत्र धारा 136 L.R. Act की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम गुरदीप के स्थान पर सही नाम गुरदेव शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ति हेतु तहसीलदार राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेंगे।<br>मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>राजगढ़ (चूरू) |